निर्णय न्यायालय श्री मुनिदेव यादव, आर0ए0एस0, उप जिला कलेक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट, गंगापुर सिटी (जिला सवाईमाधोपुर)

मुकदमा नम्बर	तारीख रजू	तारीख निर्णय
133/2011	23.12.2011	01.04.2015

1. हरीसिंह पुत्र मिश्रया, गुर्जर निवासी आष्ट्रोली ढाणीं सोहनपुरा तह0गंगापुरसिटी
2. केशन्ता पत्नि हरीसिंह,गुर्जर निवासी आष्ट्रोली ढाणीं सोहनपुरा तह0गंगापुरसिटी

——वादीगण

बनाम

1. रामखिलाडी पुत्र मिश्रया,गुर्जर नि0 आष्ट्रोली ढाणीं सोहनपुरा तह0गंगापुरसिटी
2. सुबुद्धी पुत्र मिश्रया, गुर्जर निवासी आष्ट्रोली ढाणीं सोहनपुरा तह0गंगापुरसिटी
3. कैलाश पुत्र मिश्रया, गुर्जर निवासी आष्ट्रोली ढाणीं सोहनपुरा तह0गंगापुरसिटी
4. लैण्ड होल्डर उप पंजीयक गंगापुर सिटी

——प्रतिवादीगण

दावा स्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थितः— श्री शिव कुमार शर्मा, एडवोकेट, वादीगण की ओर से

निर्णय

वादीगण ने वादपत्र इस आशय का पेश किया है कि भूमि ख0नं0 326/834 रकबा 86 एयर, 332 रकबा 52 एयर, 406 रकबा 28 एयर, 470 रकबा 80 एयर, 471 रकबा 70 एयर, 487 रकबा 1.17 हैक्टर ग्राम आष्ट्रोली की खातेदारी वर्तमान रिकार्ड में रामखिलाडी, सुबुद्धी पिसरान मिश्रया हिस्सा 2/3, मिश्री बेवा मिश्रया हिस्सा 1/5, कैलाश, हरीसिंह पिसरान मिश्रया हिस्सा 2/5 है। मिश्री बेवा मिश्रया फौत हो चुकी है जिसके वारिसान वादी संख्या 1 एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 हैं। वादी संख्या 1 व प्रतिवादी सं0 1 लगायत 3 के पिता का देहावसान करीब 25 वर्ष पूर्व हो चुका है। वादी संख्या 1 उस समय युवा अवस्था में था। प्रतिवादी संख्या 1 परिवार का सबसे बडा भाई है। रामखिलाडी से छोटा सुबुद्धी व उससे छोटा कैलाश है। वादी हरीसिंह सबसे छोटा है। प्रतिवादी रामखिलाडी की पत्नि का देहावसान बहुत पहले हो गया। प्रतिवादी सुबुद्धी के कोई औलाद नहीं है। प्रतिवादी रामखिलाडी की पत्नि का बहुत लम्बे अर्से पूर्व देहावसान होने के कारण वादी संख्या 1 को युवा अवस्था में बतौर गोद पुत्र घोषित कर दिया था। वादी संख्या 1 के पिता की मृत्यु के बाद वादी संख्या 1 का गौना हुआ एवं गौने के समय ही प्रतिवादी संख्या 1 ने कहा था कि वादी हरीसिंह ही मेरा उत्तराधिकारी पुत्र है। यही मेरा गोद पुत्र समाज में कहलायेगा। इसक बाद ही प्रतिवादी संख्या 1 के कथन पर विश्वास कर वादी संख्या 2 का वादी संख्या 1 के साथ गौना किया गया तभी से वादी संख्या 2 भी वादी संख्या 1 के साथ ही निवास कर रही है। प्रतिवादी संख्या 1 तभी से वादीगण के पास निवास कर जीवन यापन कर रहा है। वादीगण प्रतिवादी संख्या 1 की सेवा कर रहे हैं। प्रतिवादी संख्या 1 की जमीन को भी वादीगण ही काश्त कर उपयोग उपभोग कर रहे हैं। प्रतिवादी सुबुद्धी के भी कोई औलाद नहीं थी इसलिए प्रतिवादी सुबुद्धी ने वादी की लडकी पिस्ता को बाल अवस्था में अपने पास रखकर उसे विधिवत पुत्री घोषित किया। अब प्रतिवादी कैलाश के मन में बदयान्ति आ गई है तथा उन्होने रामखिलाडी व सुबुद्धी से साज कर लिया है। प्रतिवादी रामखिलाडी भूमि को रहन वय कर खुर्दबुर्द करने को आमादा है। प्रतिवादी रामखिलाडी ने दिनांक 23.11.2011 को धमकी दी कि वह भूमि को

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

Scanned by CamScanner

बेचेगा इस कारण वादीगण को यह दावा पेश करना आवश्यक हुआ है। अतः दावा पेश कर निवेदन है कि दावा वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्री किया जाकर प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे कि वे भूमि ख0नं0 326/834 रकबा 86 एयर, 332 रकबा 52 एयर, 406 रकबा 28 एयर, 470 रकबा 80 एयर, 471 रकबा 70 एयर, 487 रकबा 1.17 हैक्टर ग्राम आन्द्रोली को किसी भी प्रकार से रहन बय या हस्तान्तरण ना तो करे न करावे तथा इस बाबत किसी भी प्रकार का कोई दस्तावेज न तो पंजीबद्ध करे न करावे। प्रतिवादीगण को इस अमर के लिए भी पाबंद फरमाया जावे कि वे उक्त आराजियात के उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की बाधा वादीगण को न तो स्वयं पैदा करे न किसी अन्य से करावे।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया । प्रतिवादीगण बाबजूद सूचना हाजिर नहीं हुए अतः इनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की गई।

वादपत्र के समर्थन में वादी ने नकल जमाबंदी सं0 2068 से 2071 प्रदर्श–1 पेश की है एवं वादी हरीसिंह, केसन्ता के व गवाह रूपसिंह के बयान कराए हैं।

बहस विद्वान वकील वादीगण सुनी गई।

वादीगण के विद्वान वकील ने अपने वादपत्र के अनुरूप बहस करते हुए वादीगण का दावा डिक्री करने का निवेदन किया है।

बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया । नकल जमाबंदी प्रदर्श–1 के अनुसार वादग्रस्त भूमि प्रतिवादीगण की खातेदारी में दर्ज है एवं वादीगण के नाम वादग्रस्त भूमि की खातेदारी दर्ज नहीं है। वादीगण ने स्थाई निषेधाज्ञा का दावा पेश है एवं प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा चाही है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार खातेदार ही स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है। वर्तमान प्रकरण में वादग्रस्त भूमि प्रतिवादीगण की खातेदारी में दर्ज है एवं वादीगण के नाम वादग्रस्त भूमि की खातेदारी/गैरखातेदारी ही दर्ज नहीं है ,ऐसी स्थिति में वादीगण का दावा नियमानुसार चलने योग्य ही नहीं है तथा वादीगण प्रतिवादीगण के विरूद्ध कोई रिलीफ प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार वादीगण का वाद नियमानुसार चलने योग्य ही नहीं होने तथा वादीगण प्रतिवादीगण के विरूद्ध कोई रिलीफ प्राप्त करने के अधिकारी नहीं होने के कारण प्रस्तुत वाद खारिज किया जाता है। पर्चा डिक्री जारी किया जावे ।

पत्रावली फेसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं वाद तकमील दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 01.04.2015 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(मुनिदेव यादव)
उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

Scanned by CamScanner

Judi/Civil
Part IV-10

डिकरी व मुकद्दमे इब्तदाई
(ऑर्डर 20, रूल 6–जाब्ता दीवानी)
(Civil Proceede Code, Appendix D-1)

अज अदालत उप जिला कलेक्टर मुकाम गंगापुर सिटी
इजलास मुनिदेव यादव, आर0ए0एस0

उनवान

1. हरीसिंह पुत्र मिश्रया, गुर्जर निवासी आष्ट्रोली ढाणीं सोहनपुरा तह0गंगापुरसिटी
2. केशन्ता पत्नि हरीसिंह,गुर्जर निवासी आष्ट्रोली ढाणीं सोहनपुरा तह0गंगापुरसिटी

——वादीगण

बनाम

1. रामखिलाडी पुत्र मिश्रया,गुर्जर नि0 आष्ट्रोली ढाणीं सोहनपुरा तह0गंगापुरसिटी
2. सुबुद्धी पुत्र मिश्रया, गुर्जर निवासी आष्ट्रोली ढाणीं सोहनपुरा तह0गंगापुरसिटी
3. कैलाश पुत्र मिश्रया, गुर्जर निवासी आष्ट्रोली ढाणीं सोहनपुरा तह0गंगापुरसिटी
4. लैण्ड होल्डर उप पंजीयक गंगापुर सिटी

——प्रतिवादीगण

दावा स्थाई निषेधाज्ञा

मुकदमा नं. – 133/2011

यह मुकदमा आज वास्ते इनफियाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी श्री शिव कुमार शर्मा, एडवोकेट मिनजानिब मुद्दई श्री –– मुद्दायलह पेश होकर, हुक्म दिया जाता है व उपरोक्त विवेचन के अनुसार वादीगण का वाद नियमानुसार चलने योग्य ही नहीं होने तथा वादीगण प्रतिवादीगण के विरूद्ध कोई रिलीफ प्राप्त करने के अधिकारी नहीं होने के कारण प्रस्तुत वाद खारिज किया जाता है।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 01.04.2015 को जारी किया गया ।

उप जिलाकलेक्टर
गंगापुर सिटी

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

मुद्दई	रूपया	पैसा	मुद्दायलह	रूपया	पैसा
स्टाम्प अर्जीदावा					
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वजह सबूत			स्टाम्प पर्ची		
महनताना वकील			महनतानावकील पर		
खर्चा गवाहान			खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बाबत इजराय			बाबत इजराय		
हुक्मनामा			हुक्मनामा		
मुतफर्रिक			मुतफर्रिक		
मीजान			मीजान		

Scanned by CamScanner